प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी...नारायणखेड़ा...व भू.अ. निरिक्षक...नाथडियास...तहसील राय

महोदयजी

प्रार्थीया अम्बुरी पत्नी स्व प्रताप भील निवासी तेजाखेडी के ग्राम तेजाखेडी के खाता सं. 56,57,58 मे सा. नारायणखेडा दर्ज है जबकि उक्त खातेदार तेजाखेडी की निवासी है आधार कार्ड के आधार पर ग्राम-तेजाखेडी के जमाबन्दी खाता नं. 56,57,58 मे सा. नारायणखेडा के बजाय सा. देह दर्ज किया जाना (दुरस्त) उचित है।

इतला

पटवारी हल्का...नारायणखेड़ा

तह० रायपुर (भीलवाड़ा)

14/10/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि. के अनुसार ग्राम तेज्याखेडी के खाता सं. 56,57,58 के अम्बुडी पत्नी प्रताप भील कि साकिन नारायणखेडा के बजाय सा. देह दर्ज किया जाना उचित है।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमांक (प्र०गा० सं. / 2021) 31/21 (2021/225) दि. 14.10.2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, जांच भूअभिलेख निरीक्षक व तहसील रायपुर व संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम तेज्याखेडी मे सहखातेदार खा.नं. 56,57,58 मे अम्बुडी पति प्रताप भील सा. नारायणखेडा के बजाय अम्बुडी पति प्रताप भील सा. देह, शुद्धि किया जाकर नाम तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जावे।

14.10.2021

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:13:57 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं0 31 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	
दिनांक– 14-10-2021	प्रार्थीया अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 46, 47, 48 में क्रमशः किता 10 रकबा 1.75 है0, किता 8 रकबा 2.16 है0, किता 2 रकबा 0.32 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थीया अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. देह के बजाय अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. तेज्याखेड़ी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 46, 47, 48 में खातेदार अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. देह दुरुस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय अम्बुड़ी पत्नि प्रताप भील सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:13:57 IST Reason: SelfAttested 14.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	